कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक 42 / DWSM - कार्यवृत्त / 01 दिनांक–14/01/2026

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाईप पेयजल योजनाओं की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनाकं– 06.01.2026 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की दिनांक–06.01.2026 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

1– जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2– मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
3– अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
4– समस्त सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
5– जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 गाजीपुर।
6– डी0पी0एम0– टी0पी0आई0, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, गाजीपुर।
7– प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो।
8– प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एण्ड एस0एम0सी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर।
9– प्रोजेक्ट मैनेजरमेसर्स एच0एफ0सी0एल0।

"जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2026 को आहूत की गयी। इससे पूर्व दिसम्बर माह में दिनांक 03.12.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं की सहमति के अनुरूप दिसम्बर माह हेतु निर्धारित 114 नग पेयजल योजनाओं में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 03 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी एवं योजनाओं में सम्मिलित गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता का प्रतिशत 01 प्रतिशत है । निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति का विवरण निम्नवत् है।

Sl. No.	Agency Name	Details of water supply in targeted drinking water schemes for the month of July							
		Schemes Target (No.)	Schemes Achievement (No.)	Proposed FHTC (No.)	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC (No.)	Water supply(%) against targeted Scheme	FHTC(%) against targeted FHTC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	L&T	11	0	6198	3118	0	3118	0%	0%
2	VSA	33	2	15180	4807	418	4389	6%	3%
3	HFCL	70	1	28807	9526	20	9506	3%	0%
Total-		114	03	50185	17451	438	17013	3%	1%

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि दिसम्बर–माह हेतु लक्षित पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति संचालित कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 के द्वारा शून्य नग, मेसर्स वी0एस0ए0 के द्वारा 02 नग एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 के द्वारा 01 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी है।

Letter/EE/2025/251

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शासन के पत्र सं0 41/2025/1659/छिहत्तर– 1–2025–1882029 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 15.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) एवं पत्र सं0 40/2025/1658/छिहत्तर– 1–2025–1882022 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 15.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जारी किया गया है। जिसमें वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है:–

(1) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि सर्वप्रथम 100 प्रतिशत भौतिक रूप से पूर्ण परियोजनाओं को, जिनमें देयता शेष है, धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) तत्पश्चात 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत पूर्ण परियोजनाओं को, जो योजनाएं पूर्णता के जितने नजदीक है, उनको उसी क्रम में धनराशि देते हुए पूर्ण किया जायेगा तथा जनोपयोगी बनाया जाएगा।

(3) उसके बाद ही 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत पूर्ण परियोजनाओं को पूर्णता के अवरोही क्रम में धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान हेतु उक्त निर्गत की जा रही धनराशि 25 प्रतिशत की किश्तों में चार माह में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा आहरित किया जायेगा।

(5) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

उक्त निर्देश के क्रम में कार्यदायी संस्थाओ से योजनाओं की सूची प्राप्त की गयी है जिसकी संख्या क्रमश मेसर्स एल0 एण्ड टी0 106 नग, मेसर्स वी0एस0ए0 77 नग एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 89 नग कुल 272 नग योजनाएं सम्मिलित है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि 272 नग योजनाओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शतप्रतिशत पूर्ण हो गयी योजनाओं में कैम्पस डेवलपमेन्ट के लिए कुछ योजनाओं में मिट्टी भराई का कार्य मनरेगा योजना द्वारा कराया जाना है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि मिट्टी की भराई के कारण योजना को अवरूद्ध न किया जाय बल्कि योजना को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यो को प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय, जिससे योजना का लाभ ग्रामवासियों को मिल सके।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के ejalshaki Portal पर RPWSS (Rural pipe Water supply Scheme) आई0डी0 बनायी जानी है। उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 02.07.2025 को ''जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक'' में क्रियाशील हो चुकी पेयजल योजनाओं का सत्यापन तीन चरणों में करने के निर्देश दिये गये थे। **प्रथम चरण** में योजनाओं के कैम्पस का तकनीकी सत्यापन जिला स्तरीय तकनीकी समिति के द्वारा कराया जाय, **द्वितीय चरण** में प्रत्येक एफ0एच0टी0सी0 का सत्यापन खण्ड के जू0इं0, ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी, टी0पी0आई0 तथा आई0एस0ए0 के माध्यम से कराया जाय एवं **तृतीय चरण** में क्षतिग्रस्त मार्गो के पुर्नस्थापना के कार्यो का सत्यापन कराया जायेगा। प्रथम चरण में 64 नग पेयजल योजनाओं के कैम्पस एवं तत्सम्बन्धी कार्यो का सत्यापन जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा कराया जा चुका है। अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 2681/डी0डब्ल्यू0एस0एम0– बैठक/21 दिनांक 15.09.2025 के द्वारा पेयजल योजनाओं के गृह जल संयोजन के सत्यापन हेतु समिति को निर्देशित किया गया था किन्तु सत्यापन समिति के द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर को निर्देश दिये जाते है कि

एफ0एच0टी0सी0 सत्यापन की तिथि निर्धारित करते हुए अविलम्ब सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या प्राप्त कर ली जाय।

अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा माह दिसम्बर कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया गया और अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर को निर्देशित किया गया कि उपरोक्तानुसार शासनादेश मे निहित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार योजनाओं को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी
गाजीपुर।

पृ0सं0– 42 /DWSM-कार्यवृत्त/ 01 दिनांकः 14/01/2026

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(वारा0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
5. वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
10. समस्त कार्यदायी संस्था, डी0सी0–डी0पी0एम0यू0, डी0पी0एम0–टी0पी0आई0, गाजीपुर।

जिलाधिकारी
गाजीपुर।

Letter/EE/2025/253